

**कार्यवृत्त**

दिनांक 24.7.2014 को 13 वॉ वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के व्यय किये जाने हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ के पत्र संख्या-8/5458/92(1) 13 वॉ वित्त आयोग (सामान्य बुनियादी अनुदान द्वितीय किश्त) वित्तीय वर्ष 2013-14 लखनऊ दिनांक 28.2.2014 (पताका-क) एवं पत्र संख्या-8/5542/92(1)13 वॉ वित्त आयोग/2012-13/2013-14 (सामान्य निष्पादन अनुदान द्वितीय किश्त) वित्तीय वर्ष 2013-14 लखनऊ दिनांक 31.03.2014 में द्वितीय किश्त के रूप में (पताका-ख) जो 13 वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राप्त धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में हैं, जिसमें शासनादेश संख्या-252/नौ-9-2014-115ज/08 टी.सी. दिनांक 25-01-2014 एवं संशोधित शासनादेश सं0-254/नौ-9-2014-115 ज/08 टी.सी. दिनांक 26-02-2014 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में सामान्य बुनियादी अनुदान वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं शासनादेश सं0-399/नौ-9-2014-115 ज/08 टी.सी. दिनांक 27-03-2014 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में सामान्य निष्पादन अनुदान वित्तीय वर्ष 2013-14 के क्रम में उक्त बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित हुए जिनका विवरण निम्नप्रकार है:-

- 1- श्री बालकृष्ण कुम्हेरिया, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सहपऊ/पुरदिलनगर।
- 2- श्री राजकुमार शर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत मुरसान।
- 3- श्री अशोक कुमार शर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सादाबाद।
- 4- श्री विनय कुमार राधव, लिपिक, नगर पंचायत पुरदिलनगर।
- 5- श्री हर्षकान्त कुशवाह, अध्यक्ष, नगर पंचायत, पुरदिलनगर।
- 6- श्री मंगेश कुमार शर्मा, लिपिक, नगर पंचायत पुरदिलनगर।
- 7- श्रीमती राजकुमारी, अध्यक्ष, नगर पंचायत, सासनी।
- 8- श्री बाबूराम, लिपिक, नगर पंचायत, हसायन।
- 9- श्री हरेन्द्र सिंह, लिपिक, नगर पंचायत, सहपऊ।
- 10- श्री विश्वनाथ बनर्जी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, सि0राऊ।
- 11- श्री अनुपम गुप्ता, लिपिक, नगर पंचायत, सादाबाद।
- 12- श्री सत्यप्रकाश, लिपिक, नगर पालिका परिषद, सि0राऊ।
- 13- श्री जमाल अहमद खॉं, सहायक अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, हाथरस।
- 14- श्री के0 के0 अग्रवाल, अवर अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, हाथरस।
- 15- श्री राजेन्द्र सिंह, सी0.एस.आई., नगर पालिका परिषद, हाथरस।
- 16- श्री वी0के0 शर्मा, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, नगर पालिका परिषद, हाथरस।
- 17- डा0 डी0के0 अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हाथरस।
- 18- श्री एन0 पी0 पाण्डेय, एस0डी0एम0, सि0राऊ।
- 19- श्री देशराज सिंह, अध्यक्ष, नगर पंचायत, मुरसान।
- 20- श्रीमती फानूस इकराम, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, सि0राऊ।
- 21- श्री आर0बी0लाल, लिपिक, नगर पंचायत, मैण्डू।

निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ के 13वॉ वित्त आयोग वर्ष/2013-2014 में दिये गये निम्न दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया जाना है।

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि 13 वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर सर्विस लेबिल बेन्च मार्क से सम्बन्धित 04 जलापूर्ति, मलजल व्यवस्था, वर्षा जल की निकासी तथा ठोस अपशिष्ट पदार्थों की प्रबन्धन में सेवामानकों को पूरा करने पर व्यय की जाय और जो धनराशि बचती है तो उसका उपयोग ई-गर्वनेन्स हेतु किया जाय।
- (2) स्थानीय निकायों के लिए संस्तुत अनुदान को राज्य के बजट में आयोजनेत्तर व्यय के रूप में दर्शाया जायेगा।
- (3) टेण्डर की कार्यवाही केवल अनुमोदित कार्यों हेतु की जायेगी।
- (4) इस अनुदान के लेखों का रख रखाव संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस अनुदान के उपयोग एवं सम्प्रेषण की प्रणाली निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 द्वार सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) 13वॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्तुत अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित स्कीमों के अन्तर्गत लिए जाने से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने होंगे। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथाशीघ्र भारत सरकार को वित्त विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना होगा।
- (6) उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर निगमों के संबंध में नगर आयुक्त एवं नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर चालू वित्तीय वर्ष में ही निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ, महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (7) नगर निगमों के संबंध में संबंधित नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के संबंध में संबंधित अधिशासी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित दिशा निर्देश के अनुरूप एवं समयबद्ध रूप से किया जाय। दिशा निर्देशों से हटकर किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा तथा इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। इसके लिए संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारियों के द्वारा अपनी-अपनी निकाय के प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, जो निम्नप्रकार है:-

